F.D 2117

23-9-23 उभय पक्षों की पैरवी है।

प्रस्तुत वाद में डिक्रीदार की तरफ से शपथ पत्र के साथ दो आवेदन दिनांक 15-4-23 वास्ते नाम कलमजद करने एवं प्रतिस्थापन आवेदन आदेश 22 नियम 4 साथ ही विलंब माफी हेतु दिए गए आवेदन पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के सुनवाई उपरांत आदेश हेतु नियत है।

वाद पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए वाद सुनवाई के दौरान डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 6 परमानंद दुबे, प्रतिवादी संख्या 8 श्रीकांत दुबे की मृत्यु क्रमशः दिनांक 10-8-2020 एवं 18-8-2020 को नवलद हो गई है ऐसी स्थिति में उनका नाम वाद पत्र से कलमजद किया जाए।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि डिक्रीदार के नाम कलमजद करने के आवेदन पर

लगातार

F.D 2117

लगातार
23-9-23

उनके कोई आपत्ती नहीं है
किंतु उनके द्वारा यह आवेदन
काफी विलंब से किया गया है।
डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता
का अपने दूसरे आवेदन पर सुनवाई
के दौरान कहना है कि इस वाद
के प्रतिवादी संख्या 5 श्री रंगा दुबे
की मृत्यु दिनांक 15-7-2020
को एवं प्रतिवादी संख्या 11 सच्चानंद
दुबे की मृत्यु दिनांक 25-7-2020
को हो गई है। अतः इनका नाम
वाद पत्र से विलोपित करके उनके
वारिसानों का नाम वाद पत्र में
अंकित किया जाए। डिक्रीदार के
विद्वान अधिवक्ता का उक्त दोनों
आवेदन विलंब से दाखिल करने का
क्षमा हेतु लिमि. ऐक्ट एक्ट की धारा
5 के तहत आवेदन दिया गया है।
उनका कहना है कि डिक्रीदार की
तबियत खराब रहने एवं ब्लड कैंसर
से इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान
शेखपुरा पटना में इलाजरत रहने
के कारण समय सीमा के अंतर्गत
आवेदन नहीं दाखिल कर सके।

F.D 217

लगातार
23-9-23

अतः विद्वान अधिवक्ता विलंब माफ करते हुए अपने दोनों आवेदन को स्वीकृत करने की प्रार्थना करते हैं।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता डिग्रीदार की तरफ से दिए गए आवेदन को विलंब से दाखिल करने की बात कहते हैं एवं उचित खर्चे लगाने की मांग करते हैं।

उभय पक्षों को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि डिग्रीदार ने वाद पत्र से भिन्न प्रतिवादियों का नाम वाद पत्र से विलोपित करने हेतु दिया गया है वह काफी विलंब से दाखिल किया गया है इसी प्रकार डिग्रीदार के दूसरे प्रतिस्थापन आवेदन भी काफी विलंब से दाखिल किया गया है। विलंब माफी हेतु डिग्रीदार ने अपनी बीमारी एवं अस्पताल में इलाजरत रहने का आरज बताया है इन्होंने अपने आवेदन के अपनी इलाज की पर्ची दाखिल किया है। उनकी पर्ची के अवलोकन से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वे अस्पताल में भर्ती होकर

लगातार

F.D 2017

पेशकार
23-9-23

पेशकार इलाजपत्र की फोटो प्रति वर्ष 2017 का है जिसमें उक्त प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि डिक्रीदार भर्ती होकर अपना इलाज नहीं कराये है। जिस कारण उन्हें अपने वाद में समयावधि आवेदन दाखिल करना चाहिए था। अतः विलम्ब माफी हेतु दिए गए आवेदन पर यह न्यायालय कोई बल नहीं पाता है। वाद की अंतिम कार्यवाही एवं न्याय निर्णयन हेतु मृतक प्रतिवादीगण का नाम खारिज करना एवं उनके वारिसानों का नाम अंकित करना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारोपरान्त डिक्रीदार के दोनों आवेदनों को रु० 600 रुपये पर स्वीकृत किया जाता है। डिक्रीदार के अधिवक्ता अपनी उपस्थिति में कार्यालय से मृत प्रतिवादीगण का नाम वादपत्र से विलोपित कराके उनके वारिसानों का नाम वादपत्र में अंकित करें। डिक्रीदार की तरफ से आवश्यक औपचारिकताएं दाखिल होने पर कार्यालय जांचोपरान्त नोटिस निर्गत करे।

दिनांक 2-12-23 वास्ते उपस्थिति

ह०

सी०जे०